



2026:AHC: 172980

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 4085/2024

अब्दुल रफीक उर्फ रसीद और 4 अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: अनुपमा पराशर, राम जी सिंह, सतेंद्र कुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 92

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सतेंद्र कुमार उपाध्याय के होलिंग ब्रीफ विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. मिश्रा और राज्य प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री राहुल अस्थाना को सुना गया।
- यह वर्तमान आपराधिक अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-4, बलिया द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 39 वर्ष 2012 (राज्य बनाम अब्दुल रफीक उर्फ रसीद और अन्य) में, जो मुकदमा अपराध संख्या 68ए वर्ष 2008, धारा 147, 323/149, 325/149, 504 और 506 भा.द.सं., थाना खेजुरी, जिला बलिया से उत्पन्न हुआ है, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.03.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को धारा 147 भा.द.सं. के अंतर्गत छह माह का कठोर कारावास; धारा 323/149 भा.द.सं. के अंतर्गत छह महीने का कठोर कारावास; धारा 325/149 भा.द.सं. के अंतर्गत 500/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन वर्ष का कठोर कारावास; धारा 504 भा.द.सं. के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास और धारा 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास से दोषसिद्ध और दण्डित किया गया है, तथा जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में धारा 325/149 भा.द.सं. के अंतर्गत पाँच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतान का आदेश दिया गया है। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. परिवादी अब्दुल रफीक द्वारा धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र में स्थापित अभियोजन का मामला यह है कि परिवादी और अब्दुल रसीद उर्फ राशिक आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित थे और उनकी पैतृक संपत्ति का बँटवारा पहले ही हो चुका था। हालाँकि, ग्राम महतापर मौजामे में स्थित आम का बाग अभी तक विभाजित नहीं हुआ था।

4. यह आरोप लगाया गया है कि 8.5.2008 को लगभग दोपहर 12 बजे, यह सूचना मिलने पर कि अब्दुल रफीक उर्फ रशीद पुत्र सलीम, फूल मो. पुत्र अब्दुल, गुल मो. पुत्र सलीम, जमशेद पुत्र मोहम्मद, सभी निवासी बालुपूर, थाना खेजुरी, जिला बलिया और यासीन पुत्र रहीम निवासी ग्राम कुरेजी, थाना गड़वार, जिला बलिया ने उपरोक्त बाग से आम तोड़े हैं, परिवादी अपने भाई सादिक, अपने भतीजे असगर व शमीन और अपने पुत्र फ़िरोज़ के साथ बाग की ओर बढ़ा। जब वे गाँव में मेहंदी हसन के घर के पास पहुँचे, तो बाग से तोड़े गए आम लेकर लाठी और डंडों से लैस अभियुक्त वहाँ आ गए। परिवादी द्वारा यह पूछने पर कि उन्होंने बिना अनुमति प्राप्त किए आम कैसे तोड़े, सभी अभियुक्तों ने परिवादी और उसके साथियों को गंदी गालियाँ दीं और लाठी-डंडों से उनके साथ मारपीट की। मारपीट के परिणामस्वरूप परिवादी रफीक, सादिक, असगर और शमीन को चोटें आईं।

5. इस घटना को भागीरथी चौधरी, स्वरूप चौधरी और मुख्तार अहमद ने देखा, जिन्होंने बीच-बचाव किया और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बचाया तथा घायलों को राजकीय अस्पताल, सिकंदरपुर ले जाया गया, जहाँ उनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया और उपचार प्रदान किया गया। उनके एक्स-रे जिला अस्पताल, बलिया में कराए गए।

6. थाने में बार-बार संपर्क करने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। फलस्वरूप, परिवादी ने धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय का रुख किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के अनुसरण में प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद, अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 323/149, 325/149, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तदनुसार आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का दावा किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. अपने वाद के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू.-1 रफीक (परिवादी), पी.डब्ल्यू.-2 फिरोज, पी.डब्ल्यू.-3 असगर, पी.डब्ल्यू.-4 डॉ. धनंजय कुमार, पी.डब्ल्यू.-5 अरुण कुमार सिंह, पी.डब्ल्यू.-6 कांस्टेबल जगन्नाथ प्रसाद, पी.डब्ल्यू.-7 इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह को परीक्षित कराया।

8. अभियोजन पक्ष ने परिवादी द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र की प्रति सहित दस्तावेजी साक्ष्य भी अभिलेख पर प्रस्तुत किए। पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र जिसे प्रदर्श क-2 के रूप में चिह्नित किया गया, न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) के अंतर्गत दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-3, चोट रिपोर्ट क-4 से क-8, एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श क-9 से क-13, एफ.आई.आर. प्रदर्श क-14, जीडी प्रविष्टि की प्रति क-15, नक्शा-नजरी प्रदर्श क-16 और आरोप-पत्र प्रदर्श क-17 को अभियोजन गवाहों द्वारा विधिवत साबित किया गया।

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात, अभियुक्तों को धारा 147, 323, 325/149, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया, अभियुक्तों को धारा 147 भा.द.सं. के अंतर्गत छह महीने का कठोर कारावास; धारा 323/149 के अंतर्गत छह महीने का कठोर कारावास; धारा 325/149 भा.द.सं. के अंतर्गत 500/- रुपये जुर्माने के साथ तीन वर्ष का कठोर कारावास; धारा 504 भा.द.सं. के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। धारा 325/149 भा.द.सं. के अंतर्गत अधिरोपित जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर, उन्हें पाँच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतान का निर्देश दिया गया।

10. दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

11. अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन करने में विफल रहा है और इसके द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि साक्ष्य के विपरीत है। तदनुसार यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी निर्दोष हैं और दोषमुक्ति के हकदार हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. विद्वान ए.जी.ए. ने दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश का समर्थन किया है तथा प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध संदेह से परे आरोप स्थापित किए हैं। तदनुसार, अपील खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई है।

13. अपील की सुनवाई के स्तर पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घटना 8.5.2008 की है और घटना को हुए अठारह वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनके विरुद्ध किसी पूर्व दोषसिद्धि को दर्शाने वाली कोई सामग्री नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, वह गुण-दोष के आधार पर अपील पर जोर नहीं देना चाहते हैं और अपने अभिवेदनों को केवल सजा के प्रश्न तक सीमित रखते हैं। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई कि अपीलार्थियों को पहली बार अपराध करने वाले मानते हुए और समय के लंबे अंतराल को देखते हुए, उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाए।

14. विद्वान ए.जी.ए. ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि को उचित ठहराया। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थियों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और वर्तमान मामला उनकी पहली दोषसिद्धि प्रतीत होता है, उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त समझे जाने वाले नियमों और शर्तों के अधीन, अपीलार्थियों को परिवीक्षा पर रिहा किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

15. इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है।

16. पी.डब्ल्यू.-1 रफीक, परिवादी ने एफ.आई.आर. में अंतर्विष्ट अभियोजन संस्करण का सारतः समर्थन किया है। उसने लगातार कहा है कि घटना की तिथि, समय और स्थान पर, जब उसने संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले बाग से आम तोड़ने के संबंध में अभियुक्तों से पूछताछ किया, तो अभियुक्तों ने उसके और उसके साथियों के साथ मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें आईं। उसकी गवाही को पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 की गवाहियों से तात्त्विक संपुष्टि प्राप्त हुई है, जो दोनों घायल गवाह हैं। इन दोनों गवाहों ने घटना तथा अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. पी.डब्ल्यू.-4 डॉ. धनंजय कुमार, जो 8.5.2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे, ने गवाही दी है कि उन्होंने उसी तिथि को घायल व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण किया था, और उन्होंने उनके शरीरों पर पाई गई चोटों का वर्णन किया है तथा अपनी हस्तलिपि और उस पर हस्ताक्षर की पहचान करके चोट रिपोर्ट को विधिवत साबित किया है। चिकित्सीय परीक्षण के समय, फिरोज के शरीर पर तीन चोटें पाई गईं; रफीक के शरीर पर छह चोटें पाई गईं; घायल शेरू की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में पाँच चोटें नोट की गईं; शमीन के शरीर पर दो चोटें और मो. सादिक के शरीर पर चार चोटें पाई गईं; कुछ चोटों को अवलोकन के अधीन रखा गया था और एक्स-रे की सलाह दी गई थी।

18. पी.डब्ल्यू.-5 अरुण कुमार सिंह, एक्स-रे तकनीशियन ने गवाही दी है कि 9.5.2008 को उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल व्यक्तियों का एक्स-रे परीक्षण किया था। घायलों को डॉ. आर.एन. उपाध्याय, सर्जन, जिला अस्पताल बलिया द्वारा एक्स-रे परीक्षण के लिए संदर्भित किया गया था। एक्स-रे परीक्षण तत्कालीन रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में किए गए थे, और अभिलेख पर उपलब्ध एक्स-रे रिपोर्ट को विधि के अनुसार विधिवत साबित कर दिया गया है। चिकित्सीय और एक्स-रे साक्ष्य से यह भी स्थापित होता है कि घटना के दौरान, परिवादी के चाचा की छाती के दाहिने हिस्से में फ्रैक्चर हो गया था। चोट की प्रकृति और तदनुरूप चिकित्सीय साक्ष्य घायल गवाहों द्वारा प्रस्तुत चक्षुदर्शी विवरण को और बल देते हैं।

19. पी.डब्ल्यू.-6 जगन्नाथ प्रसाद ने अपने हस्ताक्षर को साबित करके चीक एफ.आई.आर. और प्रासंगिक जीडी प्रविष्टि को साबित किया है।

20. पी.डब्ल्यू.-7 निरीक्षक नीरज कुमार सिंह ने विवेचना के दौरान उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के संबंध में गवाही दी है। उन्होंने विवेचना के दौरान तैयार किए गए नक्शा-नजरी और अन्य कागजातों को साबित किया है।

21. घायल गवाहों की गवाही समकालीन साक्ष्य से तात्त्विक रूप से पुष्ट होती है, और उनकी गवाही को खारिज करने के लिए अभिलेख पर कोई ठोस कारण मौजूद नहीं है। मात्र इस तथ्य से कि गवाह परिवादी से संबंधित हैं, उनके अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से तब जब मुख्य गवाहों में से दो स्वयं घायल हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22. संपूर्ण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के संचयी मूल्यांकन पर, यह स्थापित होता है कि पाँच से अधिक अभियुक्तों ने एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक विधिविरुद्ध जमाव बनाया और ऐसे सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में, परिवादी और अन्य घायल व्यक्तियों पर लाठी और डंडों से हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं।

23. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य और अपीलार्थियों की भागीदारी को संदेह से परे स्थापित करने में सफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है और यह किसी भी विकृति या तात्त्विक अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

24. इसलिए, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसे एतद्वारा पुष्ट किया जाता है।

25. विचारार्थ उठने वाला अगला प्रश्न यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी परीक्षा के लाभ के हकदार हैं। घटना 8.5.2008 को हुई थी और अठारह वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और तब से अपीलार्थियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि नहीं है। यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं।

26. जहाँ तक अपीलार्थी को अपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ देने का प्रश्न है, विधिक स्थिति और प्रतिपादित विधि पर चर्चा करना आवश्यक है। इस संबंध में, अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 नीचे उद्धृत है :-

"4. अच्छे आचरण की परीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने की न्यायालय की शक्ति.-(1) जब कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय न होने वाले किसी अपराध को करने का दोषी पाया जाता है और वह न्यायालय, जिसके द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, की यह राय है कि, वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र शामिल है, उसे अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तब, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के होते हुए भी, न्यायालय उसे एक बार में कोई सजा देने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी अवधि, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, के लिए, जैसा न्यायालय निर्देश दे, उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने के लिए जमानतदार सहित या उसके बिना एक बंधपत्र निष्पादित करने पर रिहा किया जाए, और इस बीच शांति बनाए रखे और अच्छा आचरण रखे: बशर्ते कि न्यायालय किसी अपराधी को तब तक ऐसा रिहा करने का निर्देश नहीं देगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो कि अपराधी या उसके जमानतदार, यदि कोई हो, का उस स्थान पर जहाँ न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बंधपत्र निष्पादित करता है, निवास का एक निश्चित स्थान या नियमित व्यवसाय है।"

27. ऐसा ही एक प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में भी है, जहाँ धारा 360 प्रावधान करती है :-

"धारा 360- अच्छे आचरण की परीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात रिहा करने का आदेश :-

जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति केवल जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, या जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति या कोई स्त्री मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय न होने वाले अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराई जाती है, और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है, यदि उस न्यायालय के समक्ष, जिसके द्वारा वह सिद्धदोष ठहराया गया है, अपराधी की आयु, चरित्र या पूर्ववृत्त तथा उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें अपराध किया गया था, यह प्रतीत होता है कि अपराधी को अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तो न्यायालय उसे एक बार में कोई सजा देने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि उसे ऐसी अवधि (जो तीन वर्ष से अधिक न हो) के लिए, जैसा न्यायालय निर्देश दे, उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने के लिए जमानतदार सहित या उसके बिना बंधपत्र निष्पादित करने पर रिहा किया जाए और इस बीच शांति बनाए रखे और अच्छा आचरण रखे;

बशर्ते कि जहां कोई प्रथम अपराधी उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सशक्त न किए गए द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है, और मजिस्ट्रेट की यह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वह उस आशय की अपनी राय दर्ज करेगा, और कार्यवाही को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा तथा अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगा या उसकी उपस्थिति के लिए जमानत लेगा, जो उप-धारा (2) द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामले का निपटारा करेगा।"

28. इस तथ्य पर विचार करने के पश्चात कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, घटना वर्ष 2008 की है। अपीलार्थियों ने लंबी अवधि तक विचारण और अपील की प्रक्रिया का सामना किया है। विचारण और अपील के लंबित रहने के दौरान दुराचार के संबंध में कोई प्रतिकूल सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को अपीलार्थियों को कारावास में भेजने के बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के प्रावधानों का आह्वान करना उचित प्रतीत होता है।

29. अपीलार्थियों, अर्थात् अब्दुल रफीक उर्फ रसीद, फूल मोहम्मद, गुल मोहम्मद, जमशेद और यासीन को एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छे आचरण पर परिवीक्षा पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है तथा उन्हें संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत बंधपत्रों के साथ-साथ प्रत्येक 20,000/- रुपये की दो जमानतें और इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि वे आज से एक वर्ष की अवधि के दौरान शांति और अच्छा आचरण बनाए रखेंगे। वे इस अवधि के दौरान कोई अपराध नहीं करेंगे और किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, परिवीक्षा का लाभ रद्द हो जाएगा और अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मूल सजा भुगतनी होगी।

30. उक्त बंधपत्र इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अपीलार्थियों द्वारा दाखिल किए जाने हैं।

31. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अपीलार्थियों को हिरासत में लिया जाएगा और उन्हें दी गई सजा भुगतनी होगी।

32. उपर्युक्त संशोधन के साथ, तात्कालिक आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



33. अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को भी आदेश की एक प्रमाणित प्रति भेजी जाए। विचारण न्यायालय का अभिलेख भी संबंधित जिला न्यायालय को वापस भेज दिया जाए।

11 अगस्त, 2026

देव

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”